कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)
E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 300 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 21 / 0 8 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौढ़ के बनगांव चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 8बी/यू.सी.पी. /06/35/2021/एफ.सी., दिनांक– 05.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक– 132/12–1, दिनांक– 12.07.2024 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है–

क्र0सं0	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
1	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक–1)
2	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.292 है0 वन भूमि संरेखण हेतु तथा 1.125 है0 वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस–पास के क्षेत्र में सिविल सोयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
3	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक–2)
4	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
5	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % तथा Reused Material को 10% लिया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.417 है0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 3.735 है0 वन भूमि प्रस्तावित है।

84 89 P.T.O

7	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 है0 अर्थात कुल 14.304 है0 चयनित किया गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 है0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
14/08/24

संख्याः- 300/12-1 **दिनांकित।**
प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।
14/08/24